न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी, अतरौली, अलीगढ़।
परिवाद संख्या – 755 सन् 201
ओम प्रकाश वनाम राजपाल आदि
धारा–323, 504, 506, 325, 392 भा0दं0सं0

थाना :– पालीमुकीमपुर, अलीगढ़।

19–03–2018 पत्रावली आज तलवी आदेश हेतु पेश हुई। पूर्व मे ंपरिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

परिवादपत्र में परिवादी का संक्षेप में कथन है कि घटना दिनॉक 01–06–2017 को समय करीव 7.00 बजे सायं की है। प्रार्थी अपने खेत में खाद विखेर रहा था तभी खेत पडौसी ग्राम कटका के राजपाल, छोटे , अमित व पिन्टू हाथों में लाठी डण्डा तथा फरसा लेकर आ गये तथा आते ही खेत की मैड पलट दी। प्रार्थी ने मैड पलटने को मना किया तो गाली गलौज करते हुए प्रार्थी के खेत मे ंघुस आये तथा एक राय होकर उक्त सभी लोगों ने लाठी डण्डा व लात घूसों से मारना पीटना शुरु कर दिया जिससे प्रार्थी के बॉये हाथ की हड्डी टूट गई तथा गुम चोटें भी आई। चीख पुकार सुनकर गॉव के भूर सिंह व प्रार्थी का बेटा मुकट सिंह व नाती आदि बहुत से आस पास खेत पर काम करने वाले लोग आ गये जिन्हें देखकर प्रार्थी की जेब मे ंरखे एक हजार रुपये निकाल कर तथा जान से मारने की धमकी देते हुए कि आज तो बचा लिया है भविष्य मे ंजिन्दा नही छोडेगे तथा मौका मिलते ही पूरे परिवार को जानसे खत्म कर देगे कहते हुए भाग गये। धटना की सूचना सौ नम्वर पर उसके पुत्र रवेन्द्र ने दी पुलिस मौके पर पहुॅच गयी तथा थाने आने की कह कर 100 नम्वर पुलिस चली गई । उसके बाद प्रार्थी अपने पुत्र मुकट सिह व रवेन्द्र व गॉव के अन्य लोगों के साथ थाने आया तो पुलिस ने कह दिया कि पहले इनकी डाक्टरी कराओ फिर आकर तहरीर दे देना । पुलिस वालों की बातों पर विश्वास कर घायलावस्था मे ंपुलिस के साथ डाक्टरी कराने पहले सरकारी अस्पताल बिजौली गया उसके बाद रात में ही सरकारी अस्पताल दीनदयाल अलीगढ उसको चोटों की डाक्टरी हेतु भेज दिया जहॉ ंपर उसकी चोटों का डाक्टरी तथा अगले दिन 2–6–17 को एक्सरे हुआ। उसके बाद वह अपनी टाइपशुदा तहरीर लेकर थाने गया तथा थाने में तहरीर दी जो लेकर रख

ली तथा कह दिया कि आप जाओ,आपकी कार्यवाही हो जोयगी । प्रार्थी विश्वास कर कर चला गया । उसके बाद दिनॉक 10–6–17 को प्रार्थी का पुत्र रवेन्द्र थाने आया तथा मुकदमे के बारे मे ंकार्यवाही की पूछा तो दरोगाजी ने कहा कि बैठ जाओ अभी बताते है , कहकर थाने के सामने चायवाले की दुकान पर पहुॅचा तथा चाय वाले के हाथ से एक कागज लिखवा कर लाये जिस पर झूठ बोलकर रवेन्द्र के हस्ताक्षर करा लिए तथा उसी कागज को तहरीर के रुप में दर्ज कर लिया। परिवादी द्वारा दिनॉक 02–6–17 को जो तहरीर पुलिस को दी गई थी उसमे ंघटना की तथ्यता लिखी गई थी तथा पुलिस ने दिनॉक 10–6–17 की जो तहरीर अभियुक्तगण से हितबद्ध होकर लिखाई गई उसमे ंएक हजार रुपये लूटने की बात नही लिखी गई तथा मुकदमा कमजोर करने के उददेश्य से बॉये हाथ की हड्डी को दाये हाथ की हड्डी टूटना लिखा दिया तथा यह सव पुलिस ने छल कपट के आधार पर प्रार्थी की दी हुई तहरीर दिनॉक 02–6–17 को दर्ज न करके प्रार्थी के पुत्र रवेन्द्र के नाम की तहरीर को दर्ज कर प्रार्थी के साथ धोखा किया है । प्रार्थी इस सम्वन्ध मे ंथाना हाजा पर भी मिला ता उसकी बात नही सुनी गई , उसकेबाद प्रार्थी उच्च अधिकारियों से मिला लेकिन प्रार्थी की बात नही सुनी गई । उसके बाद प्रार्थी ने दिनॉक 22–06–17 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अवगत कराया, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नही हुई । प्रार्थी के द्वारा दी गई तहरीर पर धारा– 323, 325, 504 भा0दं0ंस0 की ही कार्यवाही की , उसके साथ जो घटना धटी उस सम्वन्ध में समुचित धाराओं मे ंपुलिस द्वारा कार्यवाही नही की गई ।

अतएव विपक्षीगण को तलब कर दण्डित करने की याचना की गई ।

परिवादपत्र के अधिकांश कथनों के समर्थन में परिवादी ने धारा– 200 दं0प्र0सं0 के तहत स्वयं व धारा– 202 पी0डब्लू0–1 रवेन्द्र कुमार, पी0डब्लू0–2 मुकट सिह व पी0डब्लू0–3 भूरे सिह को परीक्षत कराया

गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में एस0एस0पी0 ,को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति मय डाक रसीद, दाखिल की है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना गया तथा परिवादपत्र, परिवादी की साक्ष्य धारा 200 व 202 दं0प्र0सं0 व उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया गया।

अतः परिवाद पत्र, वादी की साक्ष्य धारा 200, व 202 द0प्र0सं0, एंव उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के सम्यक् परिशीलन से प्रथम दृष्टया विपक्षीगण राजपाल, छोटे, अमित व पिन्टू के द्वारा धारा– 323, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया परिलक्षित हो रहा है।

शेष धाराओं में विपक्षीगण के विरुद्ध कोई भी अपराध कारित किया जाना इस स्तर पर प्रतीत नही होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से विपक्षीगण राजपाल, छोटे, अमित व पिन्टू के द्वारा धारा– 323, 504, 506 भा0दं0सं0 के तहत अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है। विपक्षीगण उक्त को धारा– 323, 504, 506, भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तलब करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य व आधार है।

<u>आदेश</u>

विपक्षी राजपाल, छोटे, अमित व पिन्टू के द्वारा धारा– 323, 504, 506 भा0दं0सं0 के अपराध में विचारण हेतु आहूत किया जाता है। परिवादी वांछित पैरवी एक सप्ताह में करे। अभियुक्तगण को जरिये सम्मन दिनॉक 24 –04–2018 नियत कर तलब किया जाये।

19–03–2018

(न्यायिक दण्डाधिकारी,अतरौली)
अलीगढ़।